झारखण्ड सरकार

**झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।**

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शिकायत) 10 / 2022– 477

प्रेषक,

**संजय कुमार**
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

**सचिव**
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 27.05.2022

विषयः– **लाभुकों को मार्च माह का बकाया राशन माह मई में मिलने संबंधी प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक–11.05.2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत लाभुकों को मार्च माह में दिया जाने वाला राशन माह मई में दिये जाने से संबंधित समाचार प्रकाशित हुई है (छायाप्रति संलग्न)। इस संबंध में विभाग की ओर से झारखण्ड राज्य खाद्य निगम के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिये जाने का उल्लेख है। साथ ही यह भी उल्लेखित है कि ई–पॉश मशीन में पिछले माह का राशन वितरण का विकल्प नहीं रहने के कारण लाभुकों को राशन देने में परेशानी हो रही है।

अतः इस संबंध में अनुरोध है कि झारखण्ड राज्य खाद्य निगम को ससमय खाद्यान्न आपूर्ति करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय, ताकि लाभुकों को निर्बाध रूप से ससमय राशन उपलब्ध हो सके।

**अनुलग्नकः–यथोक्त।**

विश्वासभाजन

26/5/22

**(संजय कुमार)**
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\jharf\Dropbox\Anju\Anju@.docx6

दिनांक - 11-05-2022

प्रभात खबर

# इसी माह मिलेगा मार्च का बकाया राशन

**रांची.** खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को मार्च का बकाया राशन मई में मिलेगा. इसको लेकर विभाग की ओर से जेएसएफसी के एमडी, निदेशक व आइटी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है. फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ओंकारनाथ झा ने खाद्य आपूर्ति सचिव को पत्र लिख कर जानकारी दी थी कि राज्य के कई राशन डीलरों को अप्रैल का राशन मई में भेजा गया है. ई-पॉश मशीन में पिछले माह के राशन वितरण का विकल्प नहीं होने की वजह से लाभुकों को राशन देने में परेशानी हो रही है.

put up

18/5

18-5-22